उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या : 20/7/86-टी०सी०II/का–2-2011

लखनऊ, दिनांक 23 जून, 2011

अधिसूचना संख्या संख्या : 20/7/86-टी०सी०–का–2-2011, दिनांक 23 जून, 2011 द्वारा प्रख्यापित समूह 'घ' कर्मचारी सेवा (छठा संशोधन) नियमावली, 2011 की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(4) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

(5) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् उत्तर प्रदेश।

(6) सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(7) सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(8) वेब मास्टर/वेब अधिकारी, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(9) कार्मिक नियमावली प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन।

(10) समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रिगण उत्तर प्रदेश को मा० मंत्रिगण के सूचनार्थ।

(11) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(12) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
नन्दलाल प्रसाद,
अनु सचिव।

क्रम-संख्या–142

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 23 जून, 2011

आषाढ़ 02, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या–20–7/86टी०सी०–का–2–2011

लखनऊः 23 जून, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–48

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

समूह 'घ' कर्मचारी सेवा (छठा संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली समूह 'घ' कर्मचारी सेवा (छठा संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 10 का संशोधन

2–समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 में, जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है, नियम 10 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (7) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप–नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम
(7) समूह 'घ' के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो : परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू न होगी।	(7) समूह 'घ' के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो : परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू नही होगी।

नियम 16 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नियम 16 में, नीचे स्तम्भ–1 में विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप–नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम
(2) शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती, चयन समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (एक) संबंधित विभाग, जिसके लिए भर्ती की जानी है का विभागाध्यक्ष ..... अध्यक्ष	(2) शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती, चयन समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (एक) संबंधित विभाग, जिसके लिए भर्ती की जानी है का विभागाध्यक्ष ..... अध्यक्ष
(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो, तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा। ..... सदस्य	(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो, तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा। ..... सदस्य
(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा। ..... सदस्य	(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा। ..... सदस्य
(चार) संबंधित निःशक्तता का एक विशेषज्ञ जो सरकार में विकलांग कल्याण विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा। ..... सदस्य	(चार) संबंधित निःशक्तता का एक विशेषज्ञ जो सरकार में विकलांग कल्याण विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा। ..... सदस्य

स्तम्भ–1 विद्यमान उप–नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम
(पांच) संबंधित निःशक्तता का एक विशेषज्ञ चिकित्सक जो कि सरकार में विकलांग कल्याण विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा।	(पांच) संबंधित निःशक्तता का एक विशेषज्ञ चिकित्सक जो कि सरकार में विकलांग कल्याण विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा।
..... सदस्य	..... सदस्य
(छः) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक अधिकारी	(छः) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक अधिकारी
..... सदस्य	..... सदस्य
	टिप्पणी : विभागाध्यक्ष अपनी ओर से चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में अन्य सदस्यों से वरिष्ठ किसी अधिकारी को नाम–निर्दिष्ट कर सकता है और वह साक्षात्कार के आयोजन के लिए एक से अधिक चयन समिति का गठन कर सकता है।

आज्ञा से,
कुँवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 20-7-86T.C./Ka-2-2011 Dated June 23, 2011.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-2

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 20/7-86T.C.-ka-2-2011
Dated, Lucknow, June 23, 2011

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Group 'D' Employees Service Rules, 1985:

THE GROUP 'D' EMPLOYEES SERVICE (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2011

1. (1) These rules may be called the Group 'D' Employees Service (Sixth Amendment) Rules, 2011. Short title and commencement

(2) They shall come into force at once.

Amendment of Rule-10

2. In the Group 'D' Employees Service Rules, 1985, hereinafter referred to as the said rules, in rule 10, for existing sub-rule (7) set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be *substituted,* namely :–

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing sub-rule	*sub-rule as hereby substituted*
(7) A candidate for recruitment to each category of Group 'D' post must know cycling :	(7) A candidate for recruitment to each category of Group 'D' post must know cycling :
Provided that this condition shall not be applicable to female candidates.	Provided that this condition shall not be applicable to female candidates and the candidates belonging to the category of Physically Handicapped.

Amendment of rule 16

3. In the said rules, in rule 16, for existing sub-rule (2) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely :—

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing sub-rule	*sub-rule as hereby substituted*
(2) Direct recruitment to the posts reserved for persons belonging to the category of Physically Handicapped shall be made by a Selection Committee comprising:	(2) Direct recruitment to the posts reserved for persons belonging to the category of Physically Handicapped shall be made by a Selection Committee comprising:
(i) Head of the Department of the concerned department for which recruitment is to be made. ..... Chairman	(i) Head of the Department of the concerned department for which recruitment is to be made. ..... Chairman
(ii) An officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes nominated by the Chairman, if the Chairman does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman ..... Member	(ii) An officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes nominated by the Chairman, if the Chairman does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman ..... Member
(iii) An officer belonging to the Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman, if the Chairman does not belong to the Other Backward Classes. If the Chairman belongs to the Other Backward Classes, an officer other than belonging to the other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the Chairman ..... Member	(iii) An officer belonging to the Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman, if the Chairman does not belong to the Other Backward Classes. If the Chairman belongs to the Other Backward Classes, an officer other than belonging to the other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the Chairman ..... Member

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *sub-rule as hereby substituted*
(iv) An expert of the related disability shall be nominated by the Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the Government in the Handicapped Welfare Department ..... Member	(iv) An expert of the related disability shall be nominated by the Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the Government in the Handicapped Welfare Department ..... Member
(v) One specialist doctor of the related disability shall be nominated by the Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the Government in the Handicapped Welfare Department ..... Member	(v) One specialist doctor of the related disability shall be nominated by the Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the Government in the Handicapped Welfare Department ..... Member
(vi) An officer nominated by the concerned District Magistrate ..... Member	(vi) An officer nominated by the concerned District Magistrate ..... Member NOTE–The Head of the Department may, on his behalf, nominate an officer senior to other members as Chairman of the Selection Committee and he may constitute more than one Selection Committee for holding the interview.

By order,
KUNWAR FATEH BAHADUR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी–ए0पी0 216 राजपत्र (हि0)–2011–(495)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी–ए0पी0 4 सा० नियुक्ति–2011–(496)–3000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

216 RPH- Data 2